8/2/16	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से वकील बाबूलाल विश्नोई उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल हो। सहायक कलेक्टर SDO (गुड़ामालानी

पत्रावली आज पेश हुई।
वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली
आइन्दा को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2016

प्रार्थीगण

1. जीवराजसिंह पुत्र रावतसिंह
2. हडमतसिंह पुत्र रावतसिंह
3. नगसिंह पुत्र रावतसिंह
   जाति राजपूत निवासी पॉयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जोगसिंह पुत्र सुजानसिंह
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 सपठित आदेश

उपस्थित :

1. **श्री मोहनलाल विश्नोई व जगदीशचन्द्र विश्नोई प्रार्थीगण**
2. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 01**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08/02/16

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 8.03 बीघा सरहद मौजा पॉयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की रहवासी घर बना हुआ हैं तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

प्रार्थी के सेढे पर विप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 311 की आई हुई है। उक्त खेत के सेढा पडौसी विप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण से जमीन मोल मांगी तो प्रार्थीगण ने मना कर दिया जिससे विप्रार्थी संख्या 01 नाराज होकर प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर अवैध व अनाधिकृत कब्जा करना चाहता हैं। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में विप्रार्थी को अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने एवं प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का विप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने इस अविधिक कृत्य में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अकारण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पडेगा, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात होगा। यदि विप्रार्थी संख्या 1 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपनी खतेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा जिससे प्राथीगर्ण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। अतः विप्रार्थी को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील उपस्थित हुए। दीगर विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद

सहायक कलक्टर
SDO (गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है, मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का जाहिर है, जिससे प्रार्थी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। विप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार अतिक्रमण कर कब्जा करने एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं अपितु प्रार्थीगण स्वयं अपने हक हिस्से से अधिक विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अथवा मूल वाद के निस्तारण तक दौनों पक्षों को पाबन्द किया जावे।

दौनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या प्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण सेढा पडौसी हैं जिससे सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। सीमाओं का निर्धारण वाद पत्र में होगा। वाद के निस्तारण तक मौके पर विवाद की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय दौनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उक्त वाद ग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 8.03 बीघा, सरहद मौजा पॉयला खुर्द की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। एवं प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 311 में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाए रखें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से दौराने दावा दौनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना अपना स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक......08/2/16......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर गुढ़ामालानी

08/2/16

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुढ़ामालानी
SDO (गुढ़ामालानी

Scanned by CamScanner